दिल्ली उच्च न्यायालय : नई दिल्ली

सुरक्षित : 26.04.2022
निर्णित : 05.01.2023

आप.अ. 481/2019 व आप.वि.आ. 1845/2022 (दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 428 के तहत लाभ हेतु)

कमलेश .... अपीलार्थी

द्वारा : श्री एस. के. सेठी, अधिवक्ता

बनाम

राज्य .... प्रत्यर्थी

द्वारा : श्री आशीष दत्ता, राज्य के लिए अति.लो.अभि. सह उप.नि. दिनेश, थाना : मुंडका

कोरम :
माननीय न्यायमूर्ति श्री सिद्धार्थ मृदुल
माननीय न्यायमूर्ति श्री रजनीश भटनागर

निर्णय

श्री रजनीश भटनागर, न्या.

1. इस निर्णय के माध्यम से, हम दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 374(2) के अंतर्गत वर्तमान अपील का निपटान करेंगे जो कि पोक्सो अधिनियम के तहत अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश - 01, पश्चिम, विशेष न्यायालय, तीस हज़ारी न्यायालय, दिल्ली द्वारा दिनांक 31 अक्टूबर, 2018 को पारित दोषसिद्धि के

निर्णय तथा दिनांक 19 दिसंबर, 2018 के दंड के आदेश के खिलाफ दायर की गई है, जिसके द्वारा अपीलार्थी कमलेश को भारतीय दंड संहिता की धारा 376 के तहत दोषी ठहराया गया है और उसे कठोर आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है तथा भारतीय दंड संहिता की धारा 376 के तहत 50,000/- रुपये का जुर्माना और जुर्माना अदा न करने की स्थिति में एक वर्ष की अवधि के लिए साधारण कारावास का दंड दिया गया है। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 428 के अंतर्गत क्षमा, निलंबन अथवा कटौती का लाभ बंदी को नहीं दिया गया है।

2. संक्षेप में, अभियोजन का मामला यह है कि दिनांक 07.10.2012 को रात्रि 10:00 बजे से 11:00 बजे तक सरकारी अस्पताल, टिकरी कलां, दिल्ली के पास श्री सुरेश के घर पर, अपीलार्थी कमलेश ने लगभग 02 वर्ष की नाबालिग अभियोक्त्री सुश्री एक्स का बलात्कार किया था।

3. जांच पूरी होने के बाद महानगर दंडाधिकारी के न्यायालय के समक्ष चालान दायर किया गया, जिन्होनें सभी औपचारिकताओं को पूरा करने के बाद मामले को सुनवाई के लिए सत्र न्यायालय को अग्रेषित किया।

4. दिनांक 05.02.2013 के आदेश के माध्यम से, अपीलार्थी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 376 के तहत अपराध के लिए आरोप विरचित किया गया था जिसके लिए उसने स्वयं को दोषी नहीं माना तथा विचारण का दावा किया। अपने मामले को सिद्ध करने हेतु अभियोजन पक्ष ने 12 गवाहों का परिक्षण किया।

5. हमने अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता, राज्य के लिए विद्वान अति.लो.अभि. को सुना तथा इस मामले के अभिलेखों को भी देखा।

6. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह प्रस्तुत किया गया है कि विद्वान विचारण न्यायालय ने अनुमानों एवं अटकलों पर आक्षेपित निर्णय

पारित किया है तथा अभियोजन द्वारा सही मायने में गंभीरता से विचार किए गए साक्ष्य की सराहना करने में विफल रहा है और यह देखने में भी विफल रहा है कि अभियोजन के मामले में स्पष्ट खामियां हैं| अपीलार्थी के वरिष्ठ अधिवक्ता द्वारा आगे यह प्रस्तुत किया गया है कि विद्वान विचारण न्यायालय यह समझने में विफल रहा है कि अभि.सा. 2, जो पीड़िता की मां है, एक अविश्वसनीय गवाह है और उसने विरोधाभासी बयान दिए हैं| इसके अतिरिक्त यह भी प्रस्तुत किया गया है कि जांच दोषपूर्ण है क्योंकि मामले के जांच अधिकारी ने कभी भी उस दुर्भाग्यपूर्ण दिन पर अभि.सा.2 की उपस्थिति के बारे में पता लगाने की कोशिश नहीं की और उस सुमन से भी कोई पूछताछ नहीं की गई, जो घटना की तारीख पर कथित रूप से अभि.सा. 2 के साथ थी| इसके अतिरिक्त यह प्रस्तुत किया गया है कि प्राथमिकी दर्ज करने में देरी हुई है जिसका अभियोजन पक्ष द्वारा कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है| आगे यह प्रस्तुत किया गया है कि जांच अधिकारी ने पीड़िता के पिता के ठिकाने के बारे में और वह घर में क्यों नहीं था, इस बारे में पूछताछ नहीं की है। अभियोजन पक्ष की यह कहानी कि अभि.सा.-2 ने अपने लगभग 6 वर्षीय एवं 2 वर्षीय नाबालिग बच्चों को घर में बंद कर दिया है, अत्यंत अविश्वसनीय लगती है तथा अभि.सा.-2 का ऐसा व्यवहार बेहद गैर-जिम्मेदाराना है। आगे यह प्रस्तुत किया गया है कि अभि.सा. 2 के बयान की संपुष्टि हेतु जांच अधिकारी द्वारा पीड़िता के पिता के कॉल विवरण प्राप्त नहीं किए गए हैं| इसके अतिरिक्त यह प्रस्तुत किया गया है कि अभि.सा. 6 डॉक्टर फुरकान अली, जिसने पीड़िता को देखा था, का आचरण अत्यधिक संदिग्ध है क्योंकि उसने न तो अभि.सा. 2 को पुलिस के पास जाने की सलाह दी है और न ही उसने स्वयं पीसीआर को बुलाया| आगे यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि जांच अधिकारी ने इस बारे में किसी विशेषज्ञ की राय नहीं ली है कि पीड़िता के साथ बलात्कार हुआ था अथवा नहीं तथा विद्वान विचारण

न्यायालय ने पूरी तरह से दोषसिद्धि को पीड़िता की एमएलसी पर भरोसा जताते हुए आधारित किया है| आगे यह प्रस्तुत किया गया है कि जांच अधिकारी द्वारा कोई डीएनए आख्या प्राप्त नहीं की गई है और यह अपीलार्थी के खिलाफ एकमात्र महत्वपूर्ण साक्ष्य था क्योंकि इस मामले में योनिच्छद (हाइमन) फाड़ी नहीं गई थी| आगे यह तर्क भी प्रस्तुत किया गया है कि पीड़िता के भाई, जो लगभग छह वर्ष की आयु का था, का बयान भी जांच अधिकारी द्वारा दर्ज नहीं किया गया था, जो अभियोजन के मामले में संदेह पैदा करता है। आगे यह प्रस्तुत किया गया है कि विद्वान विचारण न्यायालय ने गलत तरीके से अभि.सा. 7 के साक्ष्य पर भरोसा जताया है क्योंकि अभि.सा. 7 ने केवल जांच करने वाले डॉक्टर के हस्ताक्षरों की पहचान की है तथा व्यक्तिगत रूप से न तो पीड़िता और न ही पीड़िता की चिकित्सीय जांच वाले दिन उसकी चिकित्सीय स्थिति को देखा है। आगे यह प्रस्तुत किया गया है कि मामले के किसी भी चरण में किसी भी स्वतंत्र गवाह की जांच नहीं की गई थी|

7. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने ***कृष्ण कुमार मलिक बनाम हरियाणा राज्य हरियाणा राज्य [(2011) 7 सर्वोच्च न्यायालय मामले 130], हरियाणा राज्य बनाम शमशेर सिंह [(2006) (3) आरसीआर (आपराधिक) 345], राज्य बनाम राहुल [2011 (2) जेसीसी 701], सुनील कुमार बनाम राज्य [181 (2011) डीएलटी 528], उत्तर प्रदेश राज्य बनाम राम वीर सिंह व अन्य [एआईआर 2007 सर्वोच्च न्यायालय 3075], शरद बिर्धि चंद सारदा बनाम महाराष्ट्र राज्य [1984 एससीसी (4) 116], स्वर्ण सिंह रतन सिंह बनाम पंजाब राज्य [एआईआर 1957 एससी 637], राजस्थान राज्य बनाम कमला [एआईआर 1991 एससी 967], इंद्रजीत सिंह बनाम पंजाब राज्य [1991 सीआर. एलजे 2191 (एससी)], रमेश बाबुलाल दोशी बनाम गुजरात राज्य [एआईआर 1996 एससी 2035]*** एवं ***नेत्राम बनाम उत्तर प्रदेश राज्य [(1989)***

1 क्राइम्स 42] पर यह प्रतिवाद करने हेतु भरोसा जताया है कि यह अभियोजन पक्ष का दायित्व है कि वह स्वयं आत्मनिर्भर हो तथा अभियुक्त के विरुद्ध मामले को युक्तियुक्त संदेह से परे साबित करे और यदि दो विचार संभव हैं तो अभियुक्त के पक्ष वाले विचार को अपनाया जाना चाहिए।

8. दूसरी ओर, राज्य के लिए विद्वान अति.लो.अभि. द्वारा यह प्रस्तुत किया गया है कि आक्षेपित निर्णय में कोई त्रुटि नहीं है तथा विद्वान विचारण न्यायालय ने अभिलेख पर प्रस्तुत किए गए साक्ष्य पर विचार किया है और अभियोजन द्वारा सही मायने में गंभीरता से साबित किया है। विद्वान अति.लो.अभि. द्वारा आगे यह प्रस्तुत किया गया है कि इस मामले में पीड़िता लगभग 2 वर्ष की एक नाबालिग बच्ची है तथा पीड़िता की मां, जिसका अभि.सा. 2 के रूप में परीक्षण किया गया है, ने अभियोजन पक्ष के मामले का पूर्ण रूप से समर्थन किया है। इसके अतिरिक्त विद्वान अति.लो.अभि. द्वारा यह भी प्रस्तुत किया गया है कि भले ही एमएलसी तैयार करने वाले डॉक्टर की जांच नहीं की गई है, फिर भी एमएलसी को ठुकराया नहीं जा सकता है और उन्होंने ***लड्डन बनाम राज्य (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार), 2013 एससीसी ऑनलाइन डेल 4951*** *एवं* ***भगवान सिंह व सुरेश बनाम राज्य***, **इस न्यायालय द्वारा दिनांक 26 फरवरी, 2007 को निर्णित आप.अ.सं.** 354/1999 पर भरोसा जताया है। विद्वान अति.लो.अभि. द्वारा आगे यह प्रस्तुत किया गया है कि प्रत्येक मामले में योनिच्छद (हायमन) फटना आवश्यक नहीं है तथा छोटे बच्चों में, आमतौर पर योनिच्छद (हायमन) नहीं फटता है तथा उन्होंने ***चांद बीबी बनाम राज्य, [(2019) 256 डीएलटी 593]*** और ***जगदीश बनाम मध्य प्रदेश राज्य, 2017 एससीसी ऑनलाइन एमपी 886*** पर भरोसा जताया है। अपीलार्थी के विद्वान अति.लो.अभि. द्वारा आगे यह प्रस्तुत किया गया है कि अपीलार्थी ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के तहत अपने बयान में इस बात से इंकार नहीं किया है कि वह घटना

की तारीख और समय पर पीड़िता के साथ था| आगे यह प्रस्तुत किया गया है कि अपीलार्थी ने अपने बचाव में स्वयं का ब.सा. 1 के रूप में परिक्षण किया है और वह एक विश्वसनीय गवाह नहीं है क्योंकि उसने विरोधाभासी बयान दिए हैं तथा उसकी गवाही पर भरोसा नहीं जताया जा सकता है|

9. वर्तमान मामले में, पीड़िता की आयु तथा अपीलार्थी की पहचान विवाद में नहीं हैं। पीड़िता की मां अभि.सा. 2 के रूप में उपस्थित हुई है तथा उसने गवाही दी है कि अपराध के किए जाने के समय पीड़िता केवल 2 वर्ष की थी, जिसके लिए कोई चुनौती नहीं है तथा यह गवाही अविवादित एवं निर्विरोध रही है। जहां तक अपीलार्थी की पहचान का संबंध है, उसकी पहचान अभि.सा.2 द्वारा की गई है जो पीड़िता की मां है| अपीलार्थी की पहचान अभि.सा. 3 कांस्टेबल विश्राम, अभि.सा. 4 कांस्टेबल सुभाष, अभि.सा. 9 उप.नि. दिनेश कुमार तथा अभि.सा.10 उप.नि. कोयल द्वारा भी की गई है और यह विवादित नहीं है कि पीड़िता की मां अपीलार्थी को अपराध के घटित होने से पहले से जानती थी क्योंकि वे पड़ोसी थे। यहां तक कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अंतर्गत अपने बयान में अपीलार्थी ने अपनी पहचान और इस तथ्य का भी विरोध नहीं किया है कि जब पीड़िता की मां बाहर जा रही थी तो उसने पीड़िता को उसके साथ छोड़ दिया था।

10. पीड़िता की एसजीएम अस्पताल, मंगोल पुरी, दिल्ली में चिकित्सीय जाँच की गई थी और उसकी एमएलसी प्र.अभि.सा.7/ए है| एमएलसी का अवलोकन यह दर्शाता है कि:

(क) हाइमेनल क्षेत्र में खरोंच के साथ थोडा सा रक्त स्त्राव

(ख) दाहिनी लेबिया मेजोरा पर छोटी सी खरोंच

(ग) पेरिनियम अक्षुण्ण

(घ) गुदे के आसपास कोई चोट नहीं

एमएलसी में आगे अभिलिखित है कि “अन्यथा योनी स्पष्ट रूप से फटी नहीं है| शरीर पर कहीं और कोई चोट नहीं दिखी|”

11. अपीलार्थी की यौन-संबंध स्थापित करने की क्षमता से जुड़ी जाँच की गई थी और अपीलार्थी के एमएलसी अर्थात प्र.अभि.सा.5/ए से यह स्पष्ट रूप से पता चलता है कि अपीलार्थी यौन-संबंध स्थापित करने में सक्षम था| अपीलार्थी के वरिष्ठ अधिवक्ता का तर्क है कि डॉ. मोनिका चोपड़ा, अभि.सा.7 ने कभी भी पीड़िता या उसकी स्थिति को उसके परीक्षण की तिथि पर नहीं देखा है इसलिए विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा उनकी गवाही पर भरोसा करना सही नहीं होगा| इस विवाद का नीचे दिए गए कारणों पर कोई प्रभाव नहीं है|

12. अभि.सा.7 के रूप में न्यायालय में उपस्थित होते हुए डॉ. मोनिका चोपड़ा ने स्पष्ट रूप से कहा कि वह 2012 से अस्पताल में काम कर रही है और चिकित्सा अधीक्षक द्वारा डॉ. राजेन्द्र की ओर से उन्हें गवाही देने के लिए प्रतिनियुक्त किया गया था जिन्होंने वर्ष 2014 में अस्पताल की सेवाओं को छोड़ दिया था और उनके ठौर-ठिकाने की कोई जानकारी अस्पताल के अभिलेख में उपलब्ध नहीं थी| उन्होंने आगे अभिसक्ष्य दिया कि वह डॉ. राजेन्द्र के हस्ताक्षरों और लिखावट की पहचान कर सकती हैं क्योंकि उन्होंने अपने डयूटी के दौरान उन्हें लिखते और हस्ताक्षर करते हुए देखा था| उसने पीड़ित के एमएलसी को प्र.अभि.सा.7 /ए के रूप में साबित किया है और उन्होंने आगे अभिसाक्ष्य दिया है कि एमएलसी डॉ. राजेन्द्र के हस्तलेख में है और उस पर उनके हस्ताक्षर भी हैं| अभि.सा.7 ने अपने प्रति-परीक्षा में इस बात से इनकार किया है कि वह डॉ. राजेन्द्र की लिखावट और हस्ताक्षरों को नहीं पहचान सकती है| उन्होंने अपनी प्रति-परीक्षा में आगे कहा है कि यह

आवश्यक हो सकता है या नहीं भी कि चोट लगी हो, यदि जबरन संभोग होता है और आमतौर पर चोट केवल बल पर निर्भर होती है|

13. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता का यह तर्क है कि डॉ. राजेन्द्र के परीक्षण की अनुपस्थिति में, जिन्होंने पीडिता का परीक्षण किया और एमएलसी तैयार की थी, वह एमएलसी साक्ष्य में स्वीकार नहीं की जा सकती क्योंकि वह भ्रमित करती है और इसमें कोई प्रभाव नहीं है| हालाँकि डॉ. राजेन्द्र का परीक्षण नहीं किया गया है लेकिन डॉ. मोनिका चोपड़ा, अभि.सा.7 का परिक्षण किया गया जिन्होंने कहा कि उन्होंने डॉ. राजेन्द्र द्वारा तैयार की गई एमएलसी प्र.अभि.सा.7/ए को देखा है| उन्होंने एमएलसी प्र.अभि.सा.7/ए पर किए गए हस्ताक्षर डॉ. राजेन्द्र के होने का बताया है| अभि.सा.7 ने कहा है कि डॉ. राजेन्द्र ने अस्पताल छोड़ दिया है और उनके ठौर-ठिकाने के बारे में कोई जानकारी नहीं थी|

14. एमएलसी चोटों/घावों का एक प्रमाणित अभिलेख है जो डॉक्टर द्वारा नियमित अनुक्रम में तैयार किया जाता है और न्यायालयों द्वारा उस पर भरोसा किया जा सकता है तब भी जब एमएलसी तैयार करने वाले डॉक्टर का न्यायालय में परीक्षण नहीं किया गया हो और अभिलेख को किसी अन्य डॉक्टर द्वारा साबित किया गया हो| अस्पताल से अपेक्षा नहीं की जा सकती कि डॉक्टर के जाने के बाद उसके ठौर-ठिकाने की जानकारी रखी जाए| और ना ही डॉक्टर से यह अपेक्षा की जाती है कि वह अस्पताल को अपने ठिकाने के बारे में सूचित करता रहे| एमएलसी पर अविश्वास केवल इसलिए नहीं किया जा सकता कि जिस डॉक्टर ने एमएलसी तैयार की उसका व्यक्तिगत रूप से परिक्षण नहीं किया गया| एक सहयोगी डॉक्टर द्वारा एमएलसी को सही साबित करना जो मरीज की जाँच करने वाले डॉक्टर की लिखावट और हस्ताक्षर की पहचान करता है या अस्पताल के प्रशासनिक कर्मचारी द्वारा जो

डॉक्टर के हस्ताक्षर की पहचान करता है, पर्याप्त है और अच्छा प्रमाण है और एमएलसी पर संदेह नहीं किया जा सकता है|

15. वर्तमान मामले में, अपीलार्थी का यह मामला नहीं है कि एमएलसी के साथ छेड़छाड़ की गई है और अपीलार्थी द्वारा अस्पताल प्राधिकरण या जाँच अधिकारी के खिलाफ कोई पक्षपात का आरोप नहीं लगाया गया है| इसलिए विद्वान विचारण न्यायालय एमएलसी प्र.अभि.सा.7/ए पर भरोसा करने के लिए पूरी तरह से न्यायोचित था|

16. अभि.सा.6 डॉ. फुरकान अली भी इस मामले के एक महत्वपूर्ण गवाह हैं| इस गवाह के अनुसार पीड़िता की चिकित्सा जाँच उनके द्वारा 7.10.2012 को रात 11 बजे की गई थी जब पीड़िता की मां अपने बच्चे के मूत्र में खून आने की शिकायत के साथ लगभग 2 वर्ष की पीड़िता को लेकर आई थी| उन्होंने आगे अभिसक्ष्य दिया कि उन्होंने बच्चे को टिटनेस इंजेक्शन दिया और उसे आगे की जाँच और प्रबंधन के लिए एसजीएम अस्पताल ले जाने की सलाह दी क्योंकि उनके अनुसार उन्हें लगा कि बच्चे के साथ कुछ दुष्कर्म किया गया है|

17. इस गवाह की प्रति-परीक्षा नहीं की गई है और उसकी गवाही पर कोई विवाद या चुनौती नहीं की गई है|

18. इसके बाद पीड़ित की माँ उसे एसजीएम अस्पताल लेकर गई जहाँ पीड़िता की एमएलसी प्र.अभि.सा.7/ए तैयार की गई| इस दस्तावेज़ के अवलोकन से पता चलता है कि पीड़िता के हाइमेनल क्षेत्र में खरोंच के साथ थोडा सा रक्त स्त्राव, दाहिनी लैबिया मेजोरा पर छोटी सी खरोंच, पेरिनियम अक्षुण्ण, गुदे के आसपास कोई चोट नहीं थी| अन्यथा योनी स्पष्ट रूप से फटी नहीं है| शरीर पर कहीं और कोई चोट नहीं दिखी|

19. वर्तमान मामला बलात्कार/यौन अपराध के आरोपों का मामला है और इन परिस्थितियों में अपराध के घटकों पर विचार किया जाना चाहिए| मोदी द्वारा

मेडिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस एंड टॉक्सिकोलॉजी (इक्कीसवां संस्करण) के पृष्ठ 369 से संदर्भ लिया जा सकता है जो इस प्रकार पढ़ा गया है:-

> *"इस प्रकार बलात्कार के अपराध को गठित करने के लिए यह आवश्यक नहीं है कि लिंग का पूर्ण प्रवेश, वीर्य के उत्सर्जन और योनिच्छद के टूटने के साथ हुआ हो| लिबिया मेजोरा में या वुल्वा में या पुदेंदा में लिंग का आधा प्रवेश वीर्य के उत्सर्जन के साथ या उसके बिना या अंदर प्रवेश करने का प्रयास भर ही कानून के उद्देश्य के लिए पर्याप्त है| इसलिए गुप्तांगों को कोई चोट पहुँचाए बिना या कोई वीर्य का दाग छोड़े बिना कानूनी रूप से बलात्कार का अपराध करना काफी हद तक संभव है| ऐसे मामले में चिकित्सा अधिकारी को अपनी आख्या में नकारात्मक तथ्यों का उल्लेख करना चाहिए लेकिन अपनी राय नहीं देनी चाहिए कि कोई बलात्कार नहीं किया गया था| बलात्कार एक अपराध है और कोई चिकिस्तीय अवस्था नहीं / बलात्कार एक कानूनी शब्द है और यह पीड़िता का इलाज करने वाले चिकित्सा अधिकारी द्वारा किया जाने वाला निदान नहीं है| चिकित्सा अधिकारी द्वारा केवल एक ही बयान दिया जा सकता है कि हाल ही में यौन गतिविधि होने के सबूत हैं| बलात्कार हुआ है या नहीं, यह कानूनी निष्कर्ष है, ना कि चिकित्सकीय|"*

20. ***मदन गोपाल कक्कड़ बनाम नवल दुबे*** **[1992] 2 एससीआर 921]** में यह निम्नलिखित रूप में देखा गयाः-

> *"38. पारिख की टेक्स्टबुक ऑफ मेडिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस एंड टॉक्सिकोलॉजी में निम्नलिखित उद्धरण दिए गए हैं:-*

यौन संबंध: कानून में इस शब्द का अर्थ यह माना जाता है कि लिंग द्वारा योनि में वीर्य के उत्सर्जन के साथ या बिना थोड़ा सा भी प्रवेश होना है| इसलिए जननांगों को कोई चोट पहुंचाए बिना या कोई वीर्य का दाग छोड़े बिना कानूनी रूप से बलात्कार का अपराध करना काफी हद तक संभव है|

39. एनसाइक्लोपीडिया ऑफ क्राइम एंड जस्टिस (खंड 4) के पृष्ठ 1356 पर यह कहा गया है कि:-

... थोड़ा सा भी प्रवेश पर्याप्त है और उत्सर्जन अनावश्यक है|

इसलिए, किसी पीड़ित, विशेष रूप से विवाहित महिला के निजी अंगों पर चोट की अनुपस्थिति से स्वतः यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता है कि कोई बलात्कार नहीं किया गया है|"

21. **एआईआर 1923 लाह 536 *रेजीना बनाम फेरोल*; नथा,** के मामले में न्यायालय ने यह निर्णय सुनाया था कि भारतीय दंड संहिता की धारा 375 के अधीन अपराध गठित करने के लिए प्रवेश होने का साक्ष्य होना चाहिए जो हो सकता है और योनी अक्षुण्ण रह सकती है| भारत में बलात्कार को गठित करने के लिए योनी में बिना वास्तविक वीर्य उत्सर्जन के प्रवेश किया जाना पर्याप्त है|

22. तत्काल मामले में, अभि.सा.2, अभि.सा.6, अभि.सा.7 की गवाही पर गौर करने के बाद और पीड़िता अभि.सा.7/ए की एमएलसी के आधार पर विद्वान विचारण न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि पीड़िता के साथ बलात्कार किया गया है जिसके कारण खून बह रहा था, हालाँकि योनी फटी नहीं थी

फिर भी इसमें दोष नहीं लगाया जा सकता है और हमारे पास एक अलग निष्कर्ष पर पहुंचने का कोई कारण नहीं है|

23. यह भी तर्क दिया गया है कि प्राथमिकी दर्ज करने में विलंब हुआ था जो अपीलार्थी के अधिवक्ता के अनुसार अभियोजन पक्ष के मामले के लिए घातक है| आख्या दर्ज करने में विलंब अभियोजन पक्ष के साक्ष्य की सत्यता के बारे में पर्याप्त संदेह पैदा करता है और इसलिए ऐसे मामले में जहां प्राथमिकी दर्ज करने में विलंब होता है दोषसिद्धि पारित करना सही नहीं है।

24. निःसंदेह, प्राथमिकी दर्ज कराने में हुई देरी अभियोजन के मामले में काफी शंका उत्पन्न करती है, हालांकि, यह प्रत्येक मामले के तथ्यों पर निर्भर करता है और प्राथमिकी दर्ज कराने में हुई प्रत्येक देरी को अभियोजन के मामले के लिए घातक नहीं कहा जा सकता और यदि विलंब का पर्याप्त रूप से स्पष्टीकरण दिया जाता है तो अभियोजन का मामला प्रभावित नहीं होगा।

25. विचारण न्यायालय ने आक्षेपित निर्णय में मामले के इस पहलू की जांच करते हुए निम्नलिखित मत व्यक्त किया है :-

> "46. **राजस्थान राज्य बनाम ओम प्रकाश (2002) 5 एस.सी.सी. 745** के रूप में प्रकाशित मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि यदि किसी मामले में मुकदमा दर्ज करने में अभियोजन पक्ष द्वारा देरी का स्पष्टीकरण दिया जाता है तो उसे भी माफ किया जा सकता है तब कि जब पीड़ित का साक्ष्य विश्वसनीय और भरोसेमंद हो।
>
> 47. ऐसा ही मत **तुलसीदास कानोलकर बनाम गोवा राज्य (2003) 8 एस.सी.सी. 590** में भी व्यक्त किया गया था, जिसमें यह उच्चतम न्यायालय द्वारा निम्नलिखित रूप में अभिनिर्धारित किया गया था :-

"असाधारण परिस्थितियां प्राथमिकी दर्ज करने में हुई देरी का एक संतोषजनक स्पष्टीकरण हैं। जब बलात्कार के आरोप का मामला हो तो किसी भी स्थिति में, विलंब अभियुक्त के लिए एक अपारध की गंभीरता कम करने वाली परिस्थिति नहीं है। प्राथमिकी दर्ज करने में देरी को अभियोजन पक्ष के मामले को खारिज करने और इसकी प्रामाणिकता पर संदेह करने के लिए एक औपचारिक सूत्र के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। यह केवल न्यायालय को यह खोजने और इस पर विचार करने के लिए सतर्क करता है कि क्या देरी के लिए कोई स्पष्टीकरण दिया गया है। एक बार यह पेश हो जाने के बाद, न्यायालय को केवल यह देखना है कि यह संतोषजनक है या नहीं। किसी मामले में यदि अभियोजन पक्ष विलंब का संतोषजनक स्पष्टीकरण देने में विफल रहता है और ऐसे विलंब के कारण अभियोजन पक्ष के संस्करण में मंडन या अतिशयोक्ति की संभावना है, तो यह एक प्रासंगिक कारक है। दूसरी ओर, विलंब का संतोषजनक स्पष्टीकरण मिथ्या निहितार्थ या अभियोजन मामले की संवेदनशीलता के अभिवचन को अस्वीकार करने के लिए पर्याप्त है। जैसा कि तथ्यात्मक परिदृश्य से पता चलता है, पीड़िता उस पर बरपी तबाही से पूरी तरह अनजान थी। इसलिए प्राथमिकी दर्ज करने में मात्र विलंब किसी भी तरह से अभियोजन संस्करण को कमजोर नहीं बनाता है।"

48. **<u>देवानंद बनाम राज्य (दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र) 2003 सीआरएल.एल.जे. 242</u>** के रूप में प्रकाशित निर्णय में माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय ने निम्नलिखित मत व्यक्त किया है :-

"उपरोक्त बयान स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि जल्द से जल्द अवसर मिलने पर अभियोक्त्री ने इस संबंध में अपनी मां से कोई शिकायत नहीं की थी। मुख्य परीक्षण को पढ़ने से पता चलता है कि उसके अपने वर्णन के अनुसार अपीलार्थी के आने के लगभग 30-36 दिनों के बाद पहली बार उसके साथ बलात्कार किया गया था, लेकिन किसी भी स्थिति में वह स्वीकार करती है कि उसके साथ कई बार बलात्कार किया गया और उसने केवल उसके(अपीलार्थी) जाने के कुछ दिनों बाद अपनी मां से शिकायत की थी। अपीलार्थी एक साल से अधिक समय तक अभियोक्त्री के घर में रहा।"

49. इसके अतिरिक्त, **<u>बाबू लाल व अन्य बनाम राजस्थान राज्य, सीआरएल.एल.जे. 2282</u>** के रूप में प्रकाशित निर्णय में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने निम्नलिखित रूप से अभिनिर्धारित किया है :-

"इसमें कोई संदेह नहीं है कि यौन हिंसा में प्राथमिकी दर्ज करने में देरी सामान्य रूप से अभियोक्त्री के वर्णन को नुकसान नहीं पहुंचा सकती है, जैसा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने विभिन्न निर्णयों में अभिनिर्धारित किया है, लेकिन अभियोक्त्री का पति वहां है और डेढ़ महीने के बाद आख्या दर्ज की जाती है, इस तरह की देरी को निश्चित रूप से अभियोजन पक्ष के मामले के लिए घातक माना जाएगा।"

50. **<u>बंटी उर्फ बलविंदर सिंह बनाम मध्य प्रदेश राज्य, 1992 सीआरएल.एल.जे. 715</u>** के रूप में प्रकाशित निर्णय में माननीय मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने निम्नलिखित रूप से अभिनिर्धारित किया है :-

"निष्कर्ष के रूप में, अभियोक्त्री द्वारा कथित घटना के बारे में पांच दिनों तक किसी को भी किसी भी प्रकार की शिकायत न करने के साथ-साथ देरी के लिए झूठे स्पष्टीकरण के साथ पांच दिनों के बाद आख्या को देरी से दर्ज कराने के उसके आचरण को ध्यान में रखते हुए, अभियोक्त्री की ढिलाई के भी संदर्भ में, उसके केवल शब्दों पर विश्वास करना बहुत असुरक्षित है कि उसके साथ पांच आरोपी व्यक्तियों या उनमें से किसी के द्वारा यौन संबंध बनाया गया था। जीप में कथित अपहरण के बारे में उनके बयान पर विश्वास करना भी मुश्किल है। इन परिस्थितियों में यह अभिनिर्धारित किया जाना चाहिए कि अभियोक्त्री की कहानी संतोषजनक रूप से स्थापित नहीं हुई थी।"

51. शिकायत EX.PW2/A (प्र.अभि.सा.2/ए) के अनुसार, कथित घटना दिनांक 07.10.2012 को रात्रि 10.00 बजे से 11.00 बजे के बीच हुई थी। डीडी संख्या 13 ए दिनांकित 08.10.2012 EX.PW1/D(प्र.अभि.सा.1/डी) प्रातः 09:20 बजे पंजीकृत की गई थी, जब पुलिस को घटना की सूचना दी गई। प्राथमिकी EX.PW1/Aप्र.अभि.सा. 1/ए) दिनांक 08.10.2012 को 12:15 बजे (दोपहर 12:15 बजे) दर्ज की गई।

52. अभियोजन पक्ष ने अभियोक्त्री की मां (अभि.सा. 2) के साक्ष्य में देरी का तार्किक स्पष्टीकरण दिया है कि जब उसका पति सुबह 06:00 बजे लौटा था, उसे घटना के बारे में बताया गया और अगली सुबह, वे अभियोक्त्री को अस्पताल ले गए और पुलिस को बुलाया गया। यह स्पष्टीकरण उचित और तर्कसंगत प्रतीत होता है क्योंकि अभियोक्त्री की मां ने पड़ोसियों सहित किसी को भी सूचित करने के बजाय अपने पति की वापसी तक इंतजार किया क्योंकि न तो उसके पास और न ही उसके

पड़ोसियों के पास उसके पति का मोबाइल नंबर था और उसके लौटने पर तथा अस्पताल जाने पर, पुलिस को अगले दिन सूचित किया गया था।

53. अभियोक्त्री की मां और अभियोजन देरी तथा इस प्रश्न को कि अभियोक्त्री की मां ने तुरंत या पहले मामले की सूचना क्यों नहीं दी को न्यायसंगत ठहराने में सक्षम रहे हैं। अभियुक्त द्वारा ऐसा कुछ भी नहीं दिखाया गया है जो यह संकेत कर सके कि ऐसी किसी संभावना का अस्तित्व है कि शिकायत को प्रेरित किया गया हो या तोड़-मरोड़ा गया हो और अभियोक्त्री की मां का बयान असत्य हो।

54. यह नहीं कहा जा सकता कि प्राथमिकी उचित विचार-विमर्श और परामर्श के बाद दर्ज की गई थी या इसे दर्ज कराने में कोई देरी हुई थी।"

26. प्राथमिकी दर्ज करने में देरी के पहलू पर विचारण न्यायालय द्वारा की गई टिप्पणियों पर विचार करने के बाद, हमारी यह राय है कि यह अभिनिर्धारित करते हुए कि पीड़ित की मां के साथ-साथ अभियोजन पक्ष द्वारा देरी के लिए संतोषजनक रूप से स्पष्टीकरण दिया गया है, विचारण न्यायालय के निष्कर्षों को गलत नहीं ठहराया जा सकता है। इसलिए, इस संबंध में अपीलार्थी को कोई भी लाभ नहीं दिया जा सकता है।

27. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने यह भी तर्क दिया है कि पीड़ित की मां (अभि.सा.-2) की गवाही विश्वसनीय नहीं है और उसने विरोधाभासी बयान दिए हैं।

28. अभियोक्त्री की मां, सुश्री वाई का अभि.सा.-2 के रूप में परीक्षण किया गया और अपने मुख्य-परीक्षण में उसने निम्नलिखित रूप से गवाही दी है:-

"आज न्यायालय में मौजूद अभियुक्त कमलेश (सही पहचाना गया) सुरेश के घर में किरायेदार के रूप में हमारे बगल के कमरे के पास रह रहा था। रविवार का दिन था। तारीख मुझे याद नहीं है। यह घटना लगभग 5-6 महीने पुरानी है। रात करीब 10 बजे मैं अपनी पड़ोसी सुमन के साथ उसके कुछ रिश्तेदारों से मिलने गई थी। मैंने अपने बच्चों को अपने कमरे में सोते हुए छोड़ दिया। मैंने बाहर से दरवाजा बंद कर दिया था। जब मैं जा रही थी तो मैंने आरोपी को शराब के नशे में मेरे कमरे के पास खड़ा देखा। करीब एक घंटे बाद मैं अपने कमरे पर लौटी। मैंने पाया कि आरोपी की गोद में मेरी बेटी सुश्री एक्स (नाम बताया गया तथा नाबालिग अभियोक्त्री की पहचान को बचाने के लिए छिपाया गया) थी और बेटी बहुत रो रही थी। मैंने अपनी बेटी को अभियुक्त से ले लिया। अपनी बेटी को शांत करने पर उसने आरोपी की ओर इशारा किया कि उसने उसे मारा है। जब मैंने अपनी बेटी के गुप्तांग पर खून देखा और आरोपी से पूछा तो आरोपी ने कहा कि उसने गलती की है (मुझसे गलती हो गई) और आरोपी वहां से चला गया। आरोपी ने मेरी बेटी के साथ बलातकार (रेप) किया था। मेरा पति प्रातः लगभग 6 बजे आया और मैंने अपने पति को सारी घटना बताई और हम अपनी बेटी को एसजीएम अस्पताल ले गए जहां मेरी बेटी का इलाज किया गया था, फिर हमने मुंडका पुलिस थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई।"

29. अभि.सा. 2 ने पुलिस को एक शिकायत भी दर्ज कराई है जो EX.PW2/A प्र.अभि.सा. 2/ए है जिसमें उसने अपीलार्थी की भूमिका के बारे में विस्तृत वर्णन दिया है। अपीलार्थी के अधिवक्ता के तर्कों की विवेचना करने और इस निष्कर्ष पर पहुंचने कि क्या अभी.सा. 2 की गवाही विश्वास करने योग्य नहीं है या विरोधाभासों से भरी है, उसके मुख्य-परीक्षण और प्रतिपरीक्षण को एक साथ पढ़ना होगा और इस संबंध में कोई भी निष्कर्ष एक पंक्ति यहां से और एक पंक्ति वहां से लेकर नहीं निकाला जा सकता है।

साक्षी की विश्वसनीयता के संबंध में किसी निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए मुख्य-परीक्षण और प्रतिपरीक्षण सहित साक्ष्य को पूरी तरह से पढ़ना होगा।

30. अभि.सा.-2 ने अपनी प्रतिपरीक्षा में इस प्रकार कहा हैः

> ***"...जब मैं निकली तब मेरे दोनों बच्चे सो रहे थे। मैंने बाहर से दरवाजा बंद किया। मैंने पुलिस को बताया था कि मैंने कमरे को बाहर से बंद कर दिया था (EX.PW2/A प्र.अभि.सा.2/ए को सामने रखा गया, जिसमें ऐसा दर्ज नहीं है)। मैंने अपने बयान में पुलिस को बताया था कि जब मैं जा रही थी तो मैंने अभियुक्त को अपने कमरे के पास खड़ा देखा (EX.PW2/A प्र.अभि.सा.2/ए को सामने रखा गया, जिसमें ऐसा दर्ज नहीं है)। यह कहना गलत है कि जब मैं गई तो मैंने आरोपी को अपने कमरे के पास खड़ा नहीं देखा था.."***

31. पीड़िता की मां द्वारा दिए गए इन जवाबों के आधार पर, अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह तर्क दिया गया है कि अभि.सा.-2 एक विश्वसनीय साक्षी नहीं है। इसमें कोई संदेह नहीं है, शिकायत EX.PW2/A प्र.अभि.सा. 2/ए और पीड़िता की मां, जिसका अभि.सा.-2 के रूप में परीक्षण किया गया है, के मुख्य-परीक्षण में विरोधाभास हैं। अब सवाल यह है कि क्या यहां ऊपर उल्लिखित विरोधाभास अभि.सा.-2 की पूरी गवाही को खारिज करने के लिए पर्याप्त हैं। कोई भी इस तथ्य को नहीं भूल सकता है कि किसी पक्षद्रोही गवाह की गवाही को भी पूरी तरह से खारिज नहीं किया जाना चाहिए। न्यायालय के पास अनाज से भूसी को छानने का पर्याप्त अधिकार है। प्रस्तुत मामले में, कोई भी इस तथ्य को नजरअंदाज नहीं कर सकता है कि अभि.सा. -2 एक 2 वर्षीय नाबालिग बच्ची, जिसका अपीलार्थी द्वारा शील भंग किया गया है, की मां है व उसने अपीलार्थी की गोद में पीड़ित बच्चे को गया था और उसने अपने गलत कार्य के लिए माफी मांगी थी। इसलिए, ऐसी स्थिति में नाबालिग बच्चे की मां को कष्ट व आघात पहुंचा होगा और इसके

बाद उसकी गवाही में कुछ विरोधाभास पैदा होना लाज़िमी हैं। विरोधाभास जो किसी गवाह की गवाही को हिला सकते हैं, वे इस तरह के हैं जो अभियोजन पक्ष के मामले की जड़ों पर प्रहार करते हैं। हमारी राय में अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा इंगित किए गए विरोधाभास, अभि.सा.-2, जो पीड़ित की मां है, की पूरी गवाही को खारिज करने के लिए पर्याप्त नहीं हैं।

32. अपीलार्थी का कथन दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अधीन अभिलिखित किया गया था। अपीलार्थी द्वारा दिया गया प्रश्न सं. 29 का उत्तर अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है| इस प्रश्न के उत्तर में अपीलार्थी ने कहा है कि ***"पीड़िता की माँ उसी मकान में किरायेदार थी जहां मैं भी किरायेदार था। उसने अपनी नाबालिग बेटी को मेरे पास यह कह कर छोड़ा था कि वो रात तक के लिए अपने रिश्तेदार के पास जा रही है। जैसा आरोप लगाया गया है वैसा कुछ भी नहीं हुआ। सुबह मुझे बताया गया कि उसने मेरे विरूद्ध आरोप लगाए हैं। यह गलत हैं। बच्चा रो रहा था और मैंने उसे केवल अपनी गोद में ले लिया था।"***

33. अपीलार्थी के अपराध तक पहुँचने के लिए, विचारण न्यायालय ने निम्नलिखित अवलोकन किए हैं:

"62. अभियुक्त ने यह कहते हुए की "मुझ से गलती हो गई" अपनी गलती अभियोक्त्री की माता के समक्ष भी स्वीकार कर ली थी। सुश्री वाई. अभियोक्त्री की माता ने आरोपी की गोद में अभियोक्त्री को देखा था और वह बहुत रो रही थी। जब सुश्री वाई ने आरोपी से सुश्री एक्स को लिया और उसे सांत्वना दी, तो सुश्री एक्स ने आरोपी की ओर इशारा किया कि उसने उसे मारा। सुश्री वाई ने सुश्री एक्स के गुप्तांगों पर खून देखा और जब उन्होंने आरोपी से पूछताछ की, तो उन्होंने स्वीकार किया कि उन्होंने गलती की थी। आरोपी, अभियोक्त्री की मां सुश्री वाई (अभि.सा. 2) के द्वारा उसके गोद में

उसके साथ अभियोक्त्री को देखने और अभियोक्त्री के खून बहने के साथ-साथ उसके द्वारा अपनी गलती के लिए माफी मांगने के बारे में उसके बयान के सम्बन्ध में प्रति परीक्षा करने में विफल रहा है। हालांकि, उसने अपनी बेगुनाही के बारे में उसे कुछ सुझाव दिए हैं (जिसका सुश्री वाई द्वारा खंडन किया गया है) लेकिन चूंकि यह निराधार है, आरोपी अभियोक्त्री (अभि.सा. 2) की मां सुश्री वाई की गवाही की सत्यता का खंडन करने में विफल रहा था।"

34. विद्वान विचारण न्यायालय ने यह पाया है कि अभि.सा.-2 का साक्ष्य उसके द्वारा दिए गए पहले के बयान/शिकायत प्र.अभि.सा.-2/ए से किसी भी प्रकार के भौतिक विभिन्नताओं या विरोधाभासों से प्रभावित नहीं है और उसने उसकी गवाही पर पूरा भरोसा जताया है| ऊपर वर्णित चर्चाओं को ध्यान में रखते हुए, हमें पीड़िता की मां की गवाही पर भरोसा नहीं जताने का कोई कारण नहीं ज्ञात होता है और विद्वत विचारण न्यायालय द्वारा इस निष्कर्ष पर पहुंचने के दौरान कि अपीलार्थी ने अभि.सा. -2 द्वारा दिए गए बयान के अनुसार उसके नाबालिग बच्चे के विरूद्ध अपराध किया है, अभि.सा.-2 द्वारा प्रस्तुत किए गए बयान पर जताए गए भरोसे को गलत नहीं ठहराया जा सकता है|

35. अपीलार्थी ने ब.सा.-1 के रूप में स्वयं का परीक्षण किया है और उसने निम्नलिखित अभिसाक्ष्य दिया है:

> ***"मेरा शराब पीने को लेकर आरोपी के पिता के साथ विवाद एवं लड़ाई हुई थी| हम पड़ोसी थे। मैंने अभियोक्त्री के विरूद्ध कोई अपराध नहीं किया है। मुझे दुश्मनी के कारण इस मामले में गलत तरीके से फंसाया गया है।मैं कथित घटना के समय और तारीख पर घटना स्थल पर मौजूद भी नहीं था।मैं इस मामले के कारण अवसाद में हूं क्योंकि मैं लगभग 5 वर्षों से***

हिरासत में हूं। मैं निर्दोष हूं और मुझे इस मामले में झूठा फंसाया गया है।"

36. इस साक्षी का विद्वान अति.लो.अभि. द्वारा प्रतिपरीक्षा की गई थी और अपनी प्रतिपरीक्षा में उसने कहाः

"कि वह अपने अन्यत्र उपस्थित होने के बचाव को सिद्ध करने हेतु कोई गवाह पेश नहीं कर सकता कि वह अपराध की तारीख और समय पर मौके पर मौजूद नहीं था| उसने किसी भी अधिकारी के समक्ष कोई शिकायत या आवेदन नहीं किया है कि उसे इस मामले में गलत तरीके से फंसाया गया है।उसने स्वीकार किया है कि घटना की तारीख पर उसने शराब पी थी। हालांकि, वह शराब के नशे में नहीं था और वह यह जानने की स्थिति में नहीं था कि वह क्या कर रहा था।वह अपने होश में था। उसने आगे कहा कि ***"परिसर में चार कमरे हैं और उनमें से एक कमरे में मैं घटना के समय रहता था।मैं घटना के समय बगल के भवन में स्थित श्री लल्लन के कमरे में गया था। मैं लगभग 9:30 बजे रात में लल्लन के कमरे में गया और करीब आधे घंटे तक वहां रुका।इसके बाद मैं अपने कमरे में चला गया।यह सही है कि लल्लन का कमरा उसी परिसर में स्थित है, जहां मैं रहता था।यह सही है कि किसी एक कमरे में सुमन रह रही थी, दूसरे कमरे में शिकायतकर्ता रहती थी।बाकी दो कमरों में लल्लन और मैं रहते थे।मैं अपने कमरे में नहीं बल्कि अपने कार्यस्थल पर शराब पीता था।मैं श्री जेड (अभियोक्त्री के पिता का नाम, जैसा कि अभियोजन पक्ष के गवाहों की सूची में क्रम संख्या 1 में अभियोक्त्री की मां के पति के रूप में उल्लिखित हैं, और अभियोक्त्री की पहचान को संरक्षित करने के लिए उसे रोक कर रखा गया है) के नाम से किसी भी व्यक्ति को नहीं जानता हूं| मैं दुबारा पूछने पर पुनः कहता हूँ कि मैं श्री जेड नामक किसी व्यक्ति को नहीं जानता|***

यह कहना गलत है कि अभियोक्त्री के पिता के साथ मेरा कोई विवाद/झगड़ा नहीं था और मैं इस संबंध में झूठी गवाही दे रहा हूं।यह कहना गलत है कि मैंने अभियोक्त्री पर बलात्कार किया था और इसके लिए मुझे इस मामले में गिरफ्तार किया गया है।यह कहना गलत है कि मैं गलत बयान कर रहा हूं।"

37. अपीलार्थी (ब.सा.-1) के मुख्य परीक्षा और प्रतिपरीक्षा के पठन से पता चलता है कि वह उस परिसर में मौजूद था जहां अपराध घटित हुआ है।दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के तहत उसके बयान में प्रश्न संख्या 29 का उत्तर भी उसके विरूद्ध जाता है, जिसमें वह स्वीकार करता है कि पीड़िता उसके साथ थी और पीड़िता की मां द्वारा उसे छोड़ा गया था|

38. अपीलार्थी ने अन्यत्र उपस्थित होने का अभिवाक प्रस्तुत किया हैं लेकिन वह इसे साबित करने में विफल रहा है क्योंकि उसने स्वयं यह स्वीकार किया है कि वह पीड़िता के साथ उसी परिसर में उपस्थिति था। अपीलार्थी अपने बचाव में यह साबित करने के लिए कि वह लल्लन के साथ था, लल्लन का परीक्षण करने में विफल रहा है क्योंकि उसके अनुसार वह लल्लन के कमरे में था जो उसी परिसर में स्थित था जहां वह रह रहा था| अपीलार्थी सच्चाई नहीं बता रहा है जो कि उसकी गवाही से भी स्पष्ट है क्योंकि एक तरफ उसने कहा है कि वह श्री जेड को जानता भी नहीं है जो कि पीड़िता का पिता है और दूसरी तरफ उसने दावा किया है कि उसका पीड़िता के पिता, जो उसका पड़ोसी है, के साथ शराब पीने को लेकर विवाद था और वह श्री जेड के नाम से किसी व्यक्ति को नहीं जानता है। अतः, जब अपीलार्थी पीड़िता के पिता को जानता भी नहीं हैं फिर उसका उससे विवाद कैसे हो सकता है| यह अपीलार्थी की असत्यता को भी दर्शाता है|

39. अपीलार्थी के अधिवक्ता द्वारा यह भी तर्क दिया गया है कि जांच अधिकारी ने निष्पक्ष जांच नहीं की है क्योंकि उसने पीड़िता के पिता के

ठिकाने के बारे में पूछताछ नहीं की है और पीड़िता के पिता का कॉल विवरण भी प्राप्त नहीं किया है ताकि अभि.सा.2 की गवाही की पुष्टि की जा सके और उसने कोई डीएनए भी प्राप्त नहीं किया है|

40. हमने पहले ही देखा है कि अभि.सा.2 मां की गवाही गलत नहीं हो सकती क्योंकि उसकी गवाही की पीड़िता की के एमएलसी EX.PW 7/A प्र.अभि.सा. 7/ए से पुष्टि होती है| केवल इसलिए कि जांच अधिकारी ने पीड़िता के 6 साल के भाई या पीड़िता के पिता का परीक्षण नहीं किया है, इसे जांच अधिकारी की ओर से दोषपूर्ण जांच नहीं कहा जा सकता है। अपीलार्थी द्वारा जांच अधिकारी के खिलाफ कोई पक्षपात या दुश्मनी का आरोप नहीं लगाया गया है|

41. अभिलेख से पता चलता है कि पीड़िता का पिता बहुत बाद में घटनास्थल पर आया था, इसलिए, अधिक से अधिक उसका साक्ष्य अनुश्रुत साक्ष्य हो सकता है। इसके अलावा, यहां यह उल्लेख करना उचित है कि जांच के दौरान तैयार किए गए दस्तावेजों को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 294 के तहत अपीलार्थी की ओर से स्वीकार किया गया है और परीक्षण के दौरान जांच अधिकारी द्वारा भी साबित किया गया है| अपीलार्थी यह साबित करने में विफल रहा है कि अभियोजन पक्ष के गवाहों की गवाही झूठी है और विश्वसनीय नहीं है|

42. इसलिए, अभि.सा. -2, अभि.सा. -6, अभि.सा. -7 की गवाही और पीड़िता/अभियोक्त्री के एमएलसी प्र.अभि.सा. -7/ए को ध्यान में रखते हुए हमारी राय है कि अभियोजन ने यह सफलतापूर्वक सिद्ध कर दिया है कि अपीलार्थी ने सुश्री एक्स, नाबालिग पीड़िता/अभियोक्त्री, आयु लगभग 2 वर्ष, का दिनांक 07.10.2012 को 10:00 बजे अपराह्न से 11:00 बजे सायं श्री सुरेश के घर पर सरकारी अस्पताल टिकरी कलां, दिल्ली के निकट बालात्कार

किया था| इसलिए, हमने इस आक्षेपित निर्णय में कोई दोष नहीं पाया हैं जिसके आधार पर अपीलार्थी को भारतीय दंड संहिता की धारा 376 के तहत दोषी ठहराया गया है|

43. जहां तक, दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की खंड 428 के अधीन लाभ प्रदान करने के संबंध में अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा दिए गए तर्कों का संबंध है, माननीय उच्चतम न्यायालय ने ***भगीरथ बनाम दिल्ली प्रशासन (1985) 2 एससीसी 580 मामले*** में दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की खंड 428 की प्रयोज्यता विचार किया है तथा निम्नलिखित अवलोकन किया हैं : -

> *"13. हमने करतार सिंह के मामलें में निर्णय के आगम के कारणों पर बड़ी सावधानी से विचार किया है।सम्मान के साथ हम इस निर्णय से सहमत नहीं हैं।हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं कि खंड 428 के अभिप्राय के अंतर्गत क्यों 'आजीवन कारावास एक अवधि के लिए कारावास है'।हम यह जोड़ना चाहते हैं कि हमें इस बात से सहमत होने में असहजता होती है कि 'आजीवन कारावास' और 'अवधि के लिए कारावास' पदों का उपयोग दंड संहिता में या दण्ड प्रक्रिया संहिता में एक दूसरे के विपरीत किया जाता है।दंड संहिता की धारा 304,305,307 और 394 निःसंदेह यह प्रावधान करती है कि संबंधित अपराधों के दोषी व्यक्तियों को आजीवन कारावास से या एक निश्चित संख्या में वर्षों तक के कारावास से दंडित किया जाएगा। लेकिन, यह एकमात्र तरीका है जिसमें विधायिका अपना वह आशय व्यक्त कर सकता है कि उन अपराधों के दोषी व्यक्तियों को संबंधित धाराओं में से किसी भी सजा से दंडित किया जा सकता हैं| जिन परिस्थितियों पर विद्वान न्यायाधीशों ने करतार सिंह मामलें पर भरोसा जताया है, वे दोनों अभिव्यक्तियों के एक दूसरे के विपरीत उपयोग के किसी भी आंतरिक या अन्यथा साक्ष्य का वहन नहीं करते हैं। विधायिका को उपलब्ध विकल्पों को समाप्त करने के लिए प्रायः एक ही खंड में दो या*

अधिक अभिव्यक्तियों का प्रयोग किया जाता है। इसका अभिप्राय यह नहीं है कि इन अभिव्यक्तियों के बीच अनिवार्यतः कोई विरोधाभास है।

.....

15. हम करतार सिंह मामलें में दिए गए अंतिम कारणों का उत्तर पहले ही दे चुके हैं कि प्रश्न यह नहीं है कि क्या धारा 428 में अंतर्विष्ट हितकारी उपबंध को न्यायसंगत विचारों के आधार पर आजीवन सिद्धदोषियों को प्रदान किया जाना चाहिए। हम एक बहुत ही सम्मानजनक कैवियट में प्रवेश कर रहें हैं। समानता विधि को कायम रखती तथा दोनों का मेल होना चाहिए। वे समानांतर धाराओं में प्रवाहित नहीं हो सकते। विशेष रूप से आपराधिक विधि के क्षेत्र में लाभकारी प्रावधानों के निर्माण में न्यायसंगत विचारों का महत्वपूर्ण स्थान होना चाहिए। इस तरह के विचारों को सम्मिलित न करने का अर्थ विधि की उदारता या इसकी सच्ची तथा स्थायी अंतर्वस्तु को नकारना है। अंत में, संयुक्त समिति द्वारा अपनी आख्या में व्यक्त किया गया विचार इस निष्कर्ष पर नहीं पहुंचता है कि "जिस अनिष्ट का निवारण करने का प्रयत्न किया जा रहा है, उसकी वहाँ कोई प्रासंगिकता नहीं है, जहां अपराध की गंभीरता को देखते हुए आजीवन कारावास की आवश्यकता होती है"। जैसा कि हमने पहले संकेत दिया है, जितना गंभीर अपराध, उतनी लंबी सजा की अवधि, और जितनी लम्बी सजा की अवधि उतनी ही अधिक सजा में छूट एवं क्षमा की आवश्यकता। अब सजा देने की आवश्यकता नहीं रह गई है। वे सुधारवादी हैं।

.....

17. इन कारणों से, हम अपील और रिट याचिका को स्वीकृत करते हैं तथा निर्देश देते हैं कि विचाराधीन कैदियों के रूप में

हमारे समक्ष दो अभियुक्तों द्वारा गुजारे गए निरोध की अवधि, धारा 433-क के प्रावधानों के अध्यधीन, उनको दिए गए आजीवन कारावास के दंडादेश में छूट दी जाएगी और, बशर्ते यह आदेश दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 432 या धारा 433 के अधीन समुचित प्राधिकारी द्वारा पारित किया गया हो।"

44. इसके अतिरिक्त, मद्रास उच्च न्यायालय की खण्ड पीठ ने ***गृह सचिव (कारागार-IV) व अन्य बनाम ए. पलानीस्वामी उर्फ पलानीअप्पन (एम/46) [डब्ल्यू. ए. संख्या 667/2020, सीएमपी सं. 9331/2020 व दिनांक 05.07.2021 को निर्णित एचसीपी सं. 959/2020)*** *मामले में* ***भागीरथ बनाम दिल्ली प्रशासन [(1985) 2 एससीसी 580]*** *और* ***कुमार बनाम तमिल नाडु राज्य [मनु/टीएन/3212/2014]*** पर इसी मुद्दे पर विचार करते हुए भरोसा जताया है कि क्या कोई व्यक्ति जिसे आजीवन कारावास की सजा दी गई है, वह दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 428 के तहत छूट के लाभ का हकदार है अथवा नहीं, जिसमें उनका यह मत है कि आजीवन कारावास के लिए भी 'छूट' की अनुमति है।

45. इसके अतिरिक्त, इस न्यायालय की खण्ड पीठ ने दिनांक 23.08.2012 को निर्णित आप.आ. 755/2009 ***'हरप्रीत सिंह बनाम दिल्ली राज्य'*** के मामले में भी न्यायालय ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 428 के लाभ उन अभियुक्तों को प्रदान किए हैं जो धारा 376(2)(छ) के तहत दोषी ठहराए जाने पर आजीवन कारावास की सजा भोग रहे हैं।

46. इसमें उल्लिखित उपरोक्त निर्णयों को ध्यान में रखते हुए हम अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा दिए गए तर्कों से सहमत हैं और तदनुसार, अपीलार्थी को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 428 के तहत छूट का लाभ प्रदान करते हैं|

47. इसमें उल्लिखित उपरोक्त बहस को ध्यान में रखते हुए विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा दिनांक 31.10.2018 को पारित आक्षेपित निर्णय का समर्थन किया है, परिणामस्वरूप, अपील को खारिज किया जाता है| हालाँकि, विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा दिनांक 19.12.2018 को पारित सजा के आक्षेपित आदेश में केवल इस सीमा तक संशोधन किया गया है कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 428 के अधीन छूट का लाभ अपीलार्थी को दिया जाए| दिनांक 19.12.2018 के सजा के आक्षेपित आदेश का शेष भाग वही रहेगा| सभी लंबित आवेदनों (यदि कोई हो) का निपटान किया जाता है|

48. इस निर्णय की प्रमाणित प्रति के साथ विचारण न्यायालय का अभिलेख तत्काल वापस भेजा जाए|

न्या., रजनीश भटनागर

न्या., सिद्धार्थ मृदुल

05 जनवरी, 2023
सुमंत

Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरण : *देशी भाषा में निर्णय का अनुवाद मुकद्दमेबाज़ के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा| समस्त कार्यालयी एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेज़ी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।*